बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः– योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 ''क'' में अतिरिक्त उप कंडिका (iii) के प्रावधान में संशोधन किए जाने के संबंध में।

योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे–छोटे योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु पथ निर्माण विभाग के संकल्प–सहपठित ज्ञापांक–1007 (एस) दि० 07.02.2014 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–159 ''क'' में उप कंडिका–i एवं ii के अतिरिक्त नया उप कंडिका–(iii) का प्रावधान किया गया। जिसके अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा विभागीय रूप से कार्य कराने का उपबंध किया गया । विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्त्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम् से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (मस्टर रौल) (PWA Form No-21) के माध्यम् से किया जा रहा है।

योजना … विभाग
4620
25-6-14

2. समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–1007 (एस) दि० 07.02.2014 द्वारा लोक निर्माण संहिता के नियम 159 ''क'' की उप कंडिका (iii) में किये गये प्रावधान से उद्देश्य की शत प्रतिशत पूर्त्ति नहीं हो पा रही है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 ''क'' के उप कंडिका (iii) को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :–

''15.00 लाख रुपये से कम राशि की योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है, को विभागीय रूप से भी कराया जा सकता है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्त्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम् से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (मस्टर रौल) (PWA From No-21) के माध्यम् से किया जायेगा'' ।

3.. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व निर्गत संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–1007 (एस) दि० 01.02.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– प्र०–6/1/वी०/12/2003– / पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– प्र०–6/1/वी०/12/2003– / पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपि :–महालेखाकर, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– प्र०–6/1/वी०/12/2003– 5255(5) / पटना, दिनांक 23-6-14

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक: यो04/मु.क्षे.वि.यो.–1/2012–2436/यो0वि0,पटना दिनांक 26 जून, 2014

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार) 26/6/2014
सरकार के सचिव

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SATISH CHANDRA BA\SANLEKH ON 29-07-13\SANKARP 19 JUNE 2014.DOCX

ज्ञापांकः	यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2012–2436/ यो0वि0,पटना दिनांक 26 जून, 2014
प्रतिलिपि :	सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी प्रति अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26/6/2014
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः	यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2012–2436/ यो0वि0,पटना दिनांक 26 जून, 2014
प्रतिलिपि :	सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/ सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/2014
सरकार के सचिव